प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01—09—2020

बलवीर के हत्यारोपी गिरफ्तार—थाना टाण्डा

दिनांक 01—09—2020 को जयवीर व उमेश द्वारा वादिनी श्रीमती गीता निवासी ग्राम अब्बासनगर थाना टाण्डा, रामपुर के पति बलवीर का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर, शव को जंगल ग्राम अब्बासनगर में छुपा देने के सम्बधं में थाना टाण्डा, रामपुर पर मु0अ0सं0—232/20 धारा 302,201 भादवि बनाम जयवीर आदि 02 नफर पंजीकृत हुआ था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी स्वार, रामपुर श्री श्रीकान्त प्रजापति के नेतृत्व में आज दिनांक 01—09—2020 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तगण को ग्राम लालपुर कला से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :—

(01)—जयवीर पुत्र सौ सिंह निवासी लक्ष्मीनगर थाना टाण्डा, रामपुर।
(02)—उमेश पुत्र गेंदा लाल नि0मौ0 दुलीवाला कस्बा व थाना टाण्डा, रामपुर।

पूछताछः—

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जंगल ग्राम अब्बासनगर में बलवीर एवं हम दोनों शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर हमारे बीच कहा—सुनी हो गयी थी, इसलिए हमने रस्सी से गला दबाकर बलबीर की हत्या कर दी और रस्सी को वहीं पर फैक दिया।

कार्यवाही—

मु0अ0सं0—232/20 धारा 302/201 भादवि बनाम जयवीर आदि 02 नफर के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी—

हत्या में प्रयुक्त की गयी रस्सी बरामद हुई।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम —

श्री माधो सिंह बिष्ट प्रभारी निरीक्षक थाना टाण्डा, रामपुर। (मय टीम)

बलवीर के हत्यारोपी गिरफ्तार—थाना टाण्डा